

कार्यालय आदेश सं. 145/19

इस कार्यालय का कार्यालय आदेश सं 05/18 दिनांक 03.01.2018 एवं 95/18 दिनांक 27.03.2018 के द्वारा श्रीमती पूनम पाण्डेय, अवर लिपिक लेवल-02 मंरेप्र (यांत्रिक) कार्यालय वाराणसी को वरिष्ठ लिपिक लेवल-05 के पद पर पदोन्नति देते हुए विकल्प पर वेतन निर्धारित किया गया था। जबकि रेलवे बोर्ड का पत्र सं E(NG)/75/PM-I/44 दिनांक 31.05.1982, 22.09.82 एवं 26.05.84 एवं E(NG)/ 85/PM-I/14(RACE-78) दि.13.11.85(RBE 296/85), E(NG)/ 85/PM-I/13(RRC) 19.02.87 (RBE- 28/87), 04.1187, 23.03.89, (RBE83/89) and 19.02.90(RBE20/90) के पैरा 5.8 के अनुसार वर्तमान कैडर में लिपिक के पद पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति का लाभ देय है, के आलोक में श्रीमती पूनम पाण्डेय लिपिक संवर्ग में दो वर्ष रेजीडेंसी अवधि दिनांक 03.03.18 को पूर्ण होने पर इन्हें यह पदोन्नति दिनांक 03.01.18 के स्थान पर 04.03.18 से प्रदान की जाती है तदनुसार इनका पदोन्नति एवं विकल्प पर वेतन निम्नवत संशोधित किया जाता है :-

पूर्व का वेतन	संशोधित वेतन
01.07.17-32000/-(लेवल-03)	01.07.17-32000/-(लेवल-03)
03.01.18-33900/-(लेवल-05)	04.03.18-33900/-(लेवल-05)
प्रवर लिपिक में पदोन्नति	प्रवर लिपिक में पदोन्नति
03.01.18-32900/-(लेवल-05)	04.03.18-32900/-(लेवल-05)
01.07.18-34900/-(लेवल-05)	01.07.18-34900/-(लेवल-05)
पदोन्नति पर विकल्प के आधार पर वेतन	पदोन्नति पर विकल्प के आधार पर वेतन

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त है।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी
दिनांक 08.05.18

सं का/या/254/मिनीस्ट्रीयल/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वमंयाई(समाडि/पावर) वाराणसी।
2. वमंविप्र/वाराणसी।
3. मुकार्याधी/यांत्रिक ब्रिग।
4. संबंधित कर्मचारी।
5. मंडल मंत्री नरमू, अजा/अजजा एसोसि. वाराणसी
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
7. अन्य प्रति।

कृते मंडल रेल प्रबंधक (का)
वाराणसी